



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अखबार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें..... 9511151254

@swatantraprabhatmedia	@swatantramedia	RNI.No. UPHIN/2019/79073 (epaper.swatantraprabhat.com)	@SwatantraPrabhatonline	news@swatantraprabhat.com
लखनऊ से प्रकाशित एवं अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून	लखनऊ, गुरुवार, 25 जून 2026	गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित		
ब्रह्मचर में लिपट वीडियो फर्जी कार्य पर कार्यवाही को नहीं जुटा पा रहे हिम्मत...02	वर्ष 07, अंक 258, पृष्ठ 12, मूल्य: 03 रुपये www.swatantraprabhat.com	लखनऊ की घटना के बाद कानपुर में कोचिंग संस्थानों को सील करने का क्रम जारी....11		

# भारत-रूस के सुप्रीम कोर्ट के बीच ऐतिहासिक समझौता

● अब न्यायिक सहयोग को मिलेगी नई दिशा

● भारत और रूस के सुप्रीम कोर्ट के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिससे दोनों देशों के न्यायिक सहयोग को एक नई दिशा मिलेगी

● दोनों देशों के सुप्रीम कोर्ट ने मॉस्को में न्यायिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन किए, जिसमें टेक्नोलॉजी संचालित न्यायालय प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया गया है

भारत और रूस ने अब न्यायिक रिश्ते भी मजबूत करने की ओर अपने कदम बढ़ा लिए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और रूसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बीच मॉस्को में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और रूस के सर्वोच्च न्यायालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और रूस के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इगोर

क्रास्नोव ने मॉस्को में इस समझौता ज्ञापन पर साइन किया।

रूस के सुप्रीम कोर्ट में बोलते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि भारतीय और रूसी सुप्रीम कोर्ट, विभिन्न कानूनी परंपराओं के माध्यम से विकसित होने के बावजूद न्याय प्रशासन में जनता के विश्वास को बनाए रखने के साथ-साथ तेजी से हो रहे तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों के अनुकूल होने की एक समान चुनौती का सामना करते हैं। टेक्नोलॉजी को न्यायिक फैसले लेने के विकल्प के बजाय न्याय तक पहुंच के साधन के रूप में काम करना चाहिए, इस बात पर जोर देते हुए कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका में भारत के डिजिटल परिवर्तन का मार्गदर्शन अदालतों को अधिक सुलभ, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

## 16 क्षेत्रीय भाषाओं में होता है फैसलों का अनुवाद

न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का जिक्र करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक दस्तावेजों के अनुवाद को सुगम बनाने के लिए एएसवीएएस यानी सर्वोच्च न्यायालय विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर (SUVAS) जैसे उपकरण विकसित किए हैं, जिसके तहत अंग्रेजी में लिखे गए फैसलों का 16 क्षेत्रीय भाषाओं



में अनुवाद किया जाता है। उन्होंने हाल ही में लॉन्च किए गए AI-संचालित चैटबॉट 'Su Sahay' के बारे में भी बताया, जो वादियों, वकीलों और आम जनता को अदालती प्रक्रियाओं, मामलों की स्थिति और फाइलिंग संबंधी जरूरतों के बारे में जानकारी देता है।

'एक मामला, एक डेटा' पहल जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायिक प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक मामले के लिए मानकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई 'एक मामला, एक डेटा' पहल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मध्यस्थता और सुलह को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी का तेजी से उपयोग किया जा रहा है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय के जिक्र किया, जिनका कमी और विवादों के समय पर समाधान में मदद मिल रही है।

साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर

दिया कि न्याय प्रशासन मूल रूप से मानवीय प्रयास ही रहना चाहिए।

## 'साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकती'

हालांकि AI ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के माध्यम से न्यायाधीशों की मदद कर सकती है, लेकिन यह फैसलों का निर्धारण नहीं कर सकती, गवाहों की विश्वसनीयता का आकलन नहीं कर सकती, साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकती या न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं कर सकती। उन्होंने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में नोटिफाइड ड्राफ्ट रेगुलेशन का जिक्र किया, जिनका उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता और मानवीय निगरानी को बनाए रखते हुए AI की जिम्मेदार तैयारी सुनिश्चित करना है।

# पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट... भारत के विदेश मंत्रालय का बयान

● विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का सबूत नहीं

● मंत्रालय ने ये भी बताया है कि हाल ही में 1.39 करोड़ से अधिक पासपोर्ट जारी किए गए और केंद्रों की संख्या 77 से बढ़कर 545 हो गई है

● भारतीयों के लिए वीजा-मुक्त देशों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है

अगर आप पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत समझते हैं तो विदेश मंत्रालय का ताजा बयान पढ़ लेना चाहिए। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने दो टूक कहा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का सबूत नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि 2025 में 1.5 करोड़ पासपोर्ट और उससे जुड़ी सेवाएं दी गईं, जिनमें से अकेले पासपोर्ट की संख्या 1.39 करोड़ थी।

मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन को छोड़कर, पासपोर्ट के लिए छह कामकाजी दिन लगते हैं। PSK (पासपोर्ट सेवा केंद्र) और POPSK (डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र) में 45 मिनट से भी कम समय लगता है।



देश भर में 545 पासपोर्ट केंद्र हैं। जबकि 10 साल पहले सिर्फ 77 पासपोर्ट केंद्र थे। केंद्रों की संख्या में छह गुना बढ़ोतरी हुई है। हमने पिछले साल 10 POPSK खोले थे। इस साल 10 और खोले जाएंगे।

मंत्रालय ने और क्या बताया? अधिकारी ने कहा कि भारतीयों के लिए वीजा-फ्री एंट्री वाले देशों की संख्या 27 है, जो 2019 में 16 थी। 47 देशों में भारतीयों के लिए 'वीजा ऑन अराइवल' की सुविधा है और 66 देश भारतीयों को इलेक्ट्रॉनिक वीजा देते हैं। ज्यादातर यूरोप के साथ मोबिलिटी एग्रीमेंट (आवाजाही से जुड़े समझौते) किए गए हैं। ये एकडिजिटल, छात्रों, अप्रेंटिस, आम पर्यटकों और कारोबारियों की आसान आवाजाही में मदद करते हैं। साथ ही ये गैर-कानूनी प्रवासियों की आसानी से वापसी के लिए एक सिस्टम भी बनाते हैं।

क्या कहता है कानून? अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है तो यह साबित करने के लिए आप भारतीय नागरिक हैं, इसके लिए सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या आधार कार्ड काफी नहीं हो सकता है। कानून के अनुसार, 1 जुलाई 1987 के

बाद भारत में पैदा हुआ कोई व्यक्ति तब तक अपने-आप नागरिकता का दावा नहीं कर सकता, जब तक कि उसके माता-पिता में से कम से कम एक भारतीय न खोले थे। इस साल 10 और खोले जाएंगे।

साल 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले में 4 लोगों को राहत देने से इनकार कर दिया था। इन पर अवैध प्रवासी होने का आरोप था, भले ही इन्होंने यह साबित करने के लिए पासपोर्ट (जो बाद में रद्द कर दिए गए थे), आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र पेश किए थे कि वे भारतीय हैं। जस्टिस कैप्टेन खंडेवाल ने उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, कानून के तहत ऐसे आवेदक के लिए यह साबित करना जरूरी है कि उसके माता-पिता भारतीय नागरिक थे। ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है।

कानून के तहत, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, तो वह जन्म से भारतीय है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म जुलाई 1987 के बाद हुआ है तो वह नागरिकता का दावा तभी कर सकता है जब उसके माता-पिता में से कोई एक नागरिक हो।

## संक्षिप्त खबरें

शांतिभंग की आशंका में पांच गिरफ्तार



रतनपुर/महाराजगंज। परसामलिक पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संभावित विवाद को रोकने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत महदेईया निवासी पांच अभियुक्त प्रहलाद (50) पुत्र शिवचरन, अभिषेक यादव (22) पुत्र प्रहलाद, चौथी यादव (59) पुत्र शिवचरन, धनराज यादव (23) पुत्र चौथी और राजेश (25) पुत्र ध्रुप यादव को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह के अनुसार फकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 170/126/135 के तहत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

प्रशिक्षण प्राप्त कर पूरी संवेदनशीलता के साथ जन सेवा करें, खंड विकास अधिकारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर नव नियुक्त खण्ड विकास अधिकारियों को राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन खण्ड विकास अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि वे अपनी प्रतिभा, क्षमता और प्रशासनिक दक्षता का भरपूर उपयोग करते हुए ग्रामीण जनता की सेवा पूरे समर्पण भाव से करें तथा गांवों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाकर जन सेवा करें। कहा कि खण्ड विकास अधिकारी ग्रामीण विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। गांवों में सरकार की योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन उन्हीं के माध्यम से होता है। राज्य ग्राम विकास संस्थान, लखनऊ में संचालित नवचर्चित खंड विकास अधिकारियों के आवासीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण के 23वें दिन

# अलीगंज अग्निकांड के बाद सिपाही जितेन्द्र राठौर ने फायर के पूर्व डीजी पर लगाया 500 करोड़ के घोटाले का आरोप

● फायर बुलेट की खरीद में ही कमीशनखोरी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता राहुल तिवारी

लखनऊ। राजधानी में उस समय हड़कंप मंच गया जब आगरा में तैनात फायर विभाग के एक सिपाही अलीगंज में आग लगने की घटना सुनकर फायर विभाग के पूर्व डीजी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सिपाही ने पूर्व डीजी पर बड़े घोटाले करने का आरोप लगाया है। इस सिपाही ने अग्निशमन विभाग में तैनात रहे पूर्व डीजी फायर अग्निशमन विभाग की पोल खोल कर रख दी। सिपाही ने मीडिया के सामने बताया कि अग्निशमन विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसे स्वयं पूर्व डीजी फायर अग्निशमन विभाग ने किया है। बताया गया कि फायर बुलेट का तो अलीगंज में आग बुझाने के लिए प्रयोग ही नहीं किया गया और फायर बुलेट थी ही नहीं आधिक्य होती भी कैसे जब एक फायर बुलेट को 11 लाख रुपए में पूर्व डीजी फायर अग्निशमन विभाग द्वारा खरीदा गया



जबकि इस बुलेट की कीमत महज 3 लाख रुपए ही है। मतलब प्रति बुलेट पर 8 लाख का कमीशन और लगभग 500 सौ बुलेट खरीदी गई मतलब लगभग 5 सौ करोड़ का घोटाला। अग्निशमन विभाग के कार्यकाल में तमाम बड़े घोटाले हुए और सरकार के बड़े नुमाइंद सोते रहे जो आज 15 होनहार बच्चों की मौत के कारण बन गये। लेकिन उसके बाद भी सरकार का ध्यान इस महाभ्रष्टाचारी अग्निशमन विभाग के ऊपर नहीं गया। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि अग्निशमन विभाग इतना बड़ा घोटाला अकेले तो कर नहीं सकते जरूर बड़े बड़े अफसरों का भी हाथ इसमें जरूर होगा। सरकार ने अभी तक न बुलेट को 11 लाख रुपए में पूर्व डीजी फायर अग्निशमन विभाग द्वारा खरीदा गया



का जिम्मेदार है और अभी भी सेफ जोन में बैठा आराम फरमा रहा है। अब देखा यह है कि क्या वर्तमान डीजी फायर व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई करेंगे क्या इनका बुलडोजर अग्निशमन विभाग की और न ही गिरफ्तार किया। जो 15 मौतों

# इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा लखनऊ कोचिंग अग्निकांड का मामला, अधिवक्ता ने चीफ जस्टिस से की ये मांग

» लखनऊ में बीते 22 जून को एक कोचिंग सेंटर में लगी भयंकर आग में 15 बच्चों की मौत हो गई थी. अब ये मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने इस मामले में एक याचिका दायर कर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से जरूरी दिशा-निर्देश देने की मांग की है

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता लखनऊ में हुए दर्दनाक कोचिंग अग्निकांड का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने हाईकोर्ट में पत्र याचिका दायर की है और चीफ जस्टिस से याचिका पर सख्त लेजर जरूरी दिशा-निर्देश देने की मांग की है। याचिका में मानकों की अनदेखी और मनमानी को लेकर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें कोचिंग संस्थानों के साथ बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी शामिल हैं। याचिका में

शांति कॉम्प्लेक्स और भीड़भाड़ वाले एरिया में संभावित अग्निकांड जैसी स्थितियों से निपटने की तैयारियों को लेकर एक डिटेल्ड गाइडलाइन जारी करने की मांग की गई है और साथ ही आग जैसी घटनाओं की सूचना पर त्वरित एक्शन प्लान तैयार करने के लिए भी जरूरी दिशा-निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने इस मामले में कहा कि जिस तरह से राज्य में लगातार अग्निकांड की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता साफ नजर आ रही है. उन्होंने कहा कि फैंटस अपने बच्चों का भविष्य संवरने के लिए उन्हें कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से एक ही बार में कई परिवारों की खुशियां उजड़ जाती हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में बढ़ी संख्या में कोचिंग संस्थान ऐसे

मकानों में चल रहे हैं, जहां जरूरत पड़ने पर आग से सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम ही नहीं हैं. कई संस्थान तो बेसमेंट में ही चल रहे हैं, जहां आग लगने पर बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी एग्जिट जैसी बुनियादी सुविधाएं ही मौजूद नहीं हैं।

15 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत लखनऊ के अलीगंज इलाके में 22 जून को दोपहर एक व्यावसायिक इमारत में आग लगने की वजह से 16 साल से 25 साल की उम्र के 15 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. आग बिल्डिंग के अंदर लगी और इतनी तेजी से फैली कि बच्चों को अंदर से निकलने का मौका ही नहीं मिला



2016 में जारी हुआ था बिल्डिंग को गिराने का आदेश इस घटना की जब जांच हुई तो पता चला कि जिस बिल्डिंग में आग लगी, वो अवैध थी। साल 2016 में ही उस बिल्डिंग को गिराने का आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसे आदेश को निरस्त

## भ्रष्टाचार की आग में जल रहा बस्ती इसे रोकने अधिकारी फेल नजर आ रहे कैसे होगा ग्राम पंचायत का विकास



● नौकरी की अंतिम बेला में पहुँचे बीडीओ माल समेटने में व्यस्त, ब्लॉक में मची लूट और भ्रष्टाचार

ग्राम पंचायतों में बिना काम भुगतान की मची होड़, मुँह खोलने से गुरेज कर रहे बीडीओ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बस्ती। बस्ती जिले बिना काम किए ग्राम पंचायतों में भुगतान हेतु मची होड़ ऊपर से खण्ड विकास अधिकारी की चुप्पी बिना कहे ही बहुत कुछ कह रही है। समझने वाले सब समझ रहे हैं परन्तु सेवा के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके बीडीओ माल समेटने में मस्त वी.के. सिंह सहित कृषि, राजस्व और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।



सरकार भले ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन व जीरो टॉलरेंस का दावा करे पर सरकारी दावों की पोल खोलने में खण्ड विकास अधिकारी कसानगंज जरा सा भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। सुत्रों की माने तो खण्ड विकास अधिकारी के सेवा का अंतिम वर्ष चल रहा है जिसके कारण व्यवस्थाएं प्रोपेड हो गयी हैं जिससे उन्हें समस्याएं दिख ही नहीं रही हैं छ विकास खण्ड स्तर की बात करें तो दर्जनों ग्राम पंचायतों में बिना काम कराए भुगतान की प्रक्रिया अंतिम दौर में है मगर बीडीओ को ये समस्याएं दिख नहीं रही हैं। मीडिया के सवाल्यों को अपने कुतर्कों से रौंदने का बीडीओ द्वारा पूरा प्रयास किया जाता है अन्य जिम्मेदार भी मुँह खोलने से परहेज कर रहे हैं। सवालों का जवाब न देना पड़े इसलिए बीडीओ अवसर छुट्टियों का बहाना बनाकर जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ने में माहिर हैं। देखना यह है कि बीडीओ की नौद टूट्टी या यूँ ही प्रोपेड लूटपाट व्यवस्था जारी रहेगी।

## ओबी0सी0 छात्र/छात्राओं हेतु 'ओ' लेवल तथा 'सी0सी0सी0' नि:शुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026

लखनऊ: 30प्र0 सरकार पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा ओ0बी0सी0 समाज के इंटर्समीडिएट पास छात्र/छात्राओं को नि:शुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु समय सारिणी जारी कर दी है। ऐसे छात्र/छात्राओं जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 01 लाख रुपये तक या इससे कम है, और वह किसी शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहा हो, को भारत सरकार की नीलिट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्रावधान है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक अभियार्थियों के लिए 10 जुलाई 2026 तक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, 30प्र0 की वेबसाइट <https://obccomputertraining.upsdc.gov.in/> पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संस्थाओं के चयन का कार्य पूर्ण हो चुका है। 01 अगस्त, 2026 से प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ हो जाएगा। 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि 01 वर्ष तथा 'सी0सी0सी0' कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि 03 माह है। 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु भुगतान की जाने वाली धनराशि 15000/- प्रति प्रशिक्षार्थी तथा 'सी0सी0सी0' कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए 35000/- प्रति लाभार्थी को विभाग द्वारा सीधे भुगतान करने की व्यवस्था है।



आयु: 18 वर्ष से अधिक। शिक्षा: 10वीं कक्षा तक। आवेदन: 10 जुलाई 2026 तक।





















